भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2199
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की निगरानी

2199. श्री सी. एन. अन्नादुरईः
श्री जी. सेल्वमः
डॉ. रानी श्रीकुमारः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता, भंडारण और समय पर इनकी पुनः आपूर्ति की निगरानी के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक औषधियों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इनकी खरीद, भंडारण और वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या;

(घ) क्या उक्त राज्य के अल्पसेवित क्षेत्रों में अतिरिक्त पीएमबीजेके स्वीकृत किए गए हैं/स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) उक्त राज्य में किफायती मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण आवश्यक औषधियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार,आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में आने वाले रोगियों के जेब से होने वाले खर्च (ओओपीई) को कम करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत निःशुल्क औषधि सेवा पहल (एफडीएसआई) शुरू की है। इसके अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके समग्र संसाधन बजट के भीतर, उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में निःशुल्क आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों पर सुविधावार आवश्यक औषधि सूची (ईएमएल) उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है:

i. उप स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एसएचसी-एएएम) - 113
ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पीएचसी-एएएम) -179
iii. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) - 301
iv. उप-जिला अस्पताल - 318
v. जिला अस्पताल (डीएचएस) - 381

इस योजना के अंतर्गत दवाओं की खरीद करने और खरीद प्रणाली के सुदृढ़ीकरण/स्थापना, गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और भंडारण, प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, शिकायत निवारण, मानक उपचार दिशानिर्देशों के प्रसार और आवश्यक दवाओं की खरीद और उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की निगरानी के लिए आईटी-सक्षम प्लेटफॉर्म डीवीडीएमएस (ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कार्यकलापों की निगरानी को सुगम बनाने के लिए एक केंद्रीय डैशबोर्ड विकसित किया गया है।

इसके अलावा, एनएचएम के तहत, एफडीएसआई सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन स्थिति का आकलन और निगरानी करने के लिए वार्षिक रूप से सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आयोजित किए जाते हैं।

एफडीएसआई के तहत खरीदी गई दवाओं की गुणवत्ता को इस पहल के परिचालन दिशानिर्देशों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है, जो इस प्रकार हैं:

i. सभी दवाओं को सुदृढ़ खरीद तंत्र के माध्यम से उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) के अनुरूप विनिर्माताओं से ही प्राप्त किया जाना चाहिए।

ii. स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में वितरण से पहले प्रत्येक बैच की आपूर्ति पश्चात् जांच किया जाना।

पीएमबीजेपी योजना की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई), तमिलनाडु में संचालित जन औषधि केंद्रों (जेएके) सहित अन्य जन औषधि केंद्रों में आवश्यक औषधियों सहित औषधियों की उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

आपूर्ति में किसी भी कमी को दूर करने और जेएके में उत्पादों की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) सितंबर 2024 से, योजना उत्पाद बास्केट में शीर्ष 100 बिक्री होने वाली औषधियों और बाजार में तेजी से बिक्री होने वाली 100 औषधियों सहित 200 सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली औषधियों का जेएके द्वारा स्टॉक रखे जाने को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके तहत जेएके मालिक इन औषधियों के अपने द्वारा रखे गए स्टॉक के आधार पर मासिक प्रोत्साहन के पात्र हैं।

(ii) एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को जोड़ने के लिए एक संपूर्ण सूचना-प्रौद्योगिकी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें पांच मालगोदाम और देश भर में वितरकों, जिनकी वर्तमान संख्या 42 है, का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क शामिल है।

(iii) इसके अतिरिक्त, सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, योजना की कार्यान्वयन एजेन्सी भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) द्वारा 400 तेजी से बिक्री होने वाले उत्पादों की नियमित निगरानी की जाती है और इनकी मांग का निरंतर पूर्वानुमान लगाया जाता है। साथ ही, खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पूर्वानुमान पद्धति को डिजिटाइज़ करने के कदम उठाए गए हैं।

इस योजना की कवरेज को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोलने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने जन औषधि केंद्रों (जेएके) को खोलने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाया है। तमिलनाडु सहित पूरे देश में कोई भी व्यक्तिगत उद्यमी, गैर-सरकारी संगठन, समितियां, ट्रस्ट, फर्म, निजी कंपनियां आदि इस योजना की वेबसाइट (www.janaushadhi.gov.in) के माध्यम से जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कम सुविधा वाले क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र खोलने में सुविधा प्रदान करने के लिए, पीएमबीआई संबंधित प्रशासन/जिला मजिस्ट्रेट को सरकारी अस्पतालों में आवेदकों को निशुल्क स्थान उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से पत्र लिख रहा है।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना के अंतर्गत 2,110 दवाइयाँ और 315 शल्य चिकित्सा सामग्री, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएँ और उपकरण शामिल हैं, जिनमें हृदयवाहिका रोग, कैंसर-रोधी, मधुमेह-रोधी, संक्रमण-रोधी, एलर्जी-रोधी और गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल दवाएँ और न्यूट्रास्युटिकल्स जैसे सभी प्रमुख चिकित्सीय समूह शामिल हैं। प्रयोगशाला अभिकर्मकों और टीकों को छोड़कर, राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची में शामिल लगभग सभी जेनेरिक दवाएँ इस उत्पाद सूची का हिस्सा हैं। स्टॉक की कमी को दूर करने और तमिलनाडु सहित पूरे देश में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी और समुचित सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
